



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2477]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24, 2013 / कार्तिक 2, 1935

No. 2477]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2013 / KARTIKA 2, 1935

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES
NOTIFICATION

अधिसूचना

New Delhi, the 21st October, 2013

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2013

का. आ. 3241(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जयवंत गंगाराम आवले, संसद सदस्य, लोक सभा को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1375(अ), तारीख 27 मई, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

S.O. 3241(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby appoints Shri Jayawant Gangaram Awale, Member of Parliament, Lok Sabha as member of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises and for the said purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 1375(E), dated the 27th May, 2013, namely :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

In the said notification, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

9. “श्री जयवंत गंगाराम आवले, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य”

“9. Shri Jayawant Gangaram Awale, Member of Parliament (Lok Sabha) Member”

[फा. सं. 1(19)/2013-एनबीएमएसएमई]

[F.No. 1(19)/2013-NBMSME]

अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव और विकास आयुक्त

AMARENDRA SINHA, Addl. Secy. and
Development Commissioner

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1375(अ), तारीख 27 मई, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1375(E), dated the 27th May, 2013.

4513 GI/2013